संख्याः 28/495/तीस-1-2015-5(8)/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉं,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 30मार्च, 2015

विषयः बस स्टेशन कासगंज के पुनर्निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-233बी/15-299(ईई)डब्ल्यू/2012 दिनांक 23 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बस स्टेशन कासगंज के पुनर्निर्माण हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आगणन लागत रू0 499.70 लाख का उपलब्ध कराया गया है तथा कार्यदायी संस्था कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा उक्त लागत पर प्रश्नगत कार्य करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गयी है। उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त बस स्टेशन कासगंज पुनर्निर्माण के निर्माण हेतु आगणन लागत रू0 499.70 लाख मे से भवन के बाहर स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग मद में आंकलित धनराशि रू0 1.06 लाख को घटाकार शेष धनराशि रू0 498.64 लाख (रूपये चार करोड़ अठ्ठानवे लाख चौसठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस/2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) उक्त आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) परियोजना का अंतिम रूप में अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(4) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(7) प्रायोजना में विकास कार्यो, इलेक्ट्रिफिकेशेन, जलापूर्ति, फायरफालिंग, सेनेटरी, आन्तरिक एवं बाहय लाइटिंग, पम्प रूम, मिनी ट्यूबवेल, रेन वाटर हारवेस्टिंग आदि कार्यो हेतु एक मुश्त धनराशि प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त की जायेगी। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में स्थल विकास संबंधी जिन कार्यो की लागत डी0एस0आर0 पर प्रस्तावित की गयी हों उन कार्यो का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(9) प्रायोजना प्रस्ताव में मिट्टी भराई हेतु प्रस्तावित धनराशि जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं है। व्यय-वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कैम्पस में मिट्टी भराई का प्राविधान किया जाता है, किन्तु इस प्राविधान के जस्टीफिकेशन हेतु आवश्यक कन्टूर मैप एवं मिट्टी की आवश्यकता मात्र कार्यदायी संस्था द्वारा प्रशासकीय विभाग के संज्ञान में लाये बिना ही अपने स्तर से निर्धारित कर दी जाती है तथा कभी-कभी यह देखने में आया है कि कन्टूर मैप/मिट्टी की गणना कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से भी अनुमोदित नहीं होती है जिससे इस मद में भी अपव्यय की सम्भावना बनी रहती है। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था निर्धारित की गयी है कि यदि किसी प्रायोजना में मिट्टी भराई की आश्यकता पड़ती है तो संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय स्थल पर अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का गठन किया जाय जिसमें सदस्य के रूप में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एवं निर्माण ऐजेन्सी तथा सदस्य-सचिव के रूप में प्रशासकीय विभाग के स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि रहेगे। इस समिति द्वारा अनुमोदित कन्टूर मैप एवं मिट्टी की मात्रा के अनुसार ही प्रायोजना प्रस्तावों/आगणनों में मिट्टी भराई का प्रावधान किया जाय। अन्यथा की स्थिति में मिट्टी भराई मद में प्रस्तावित धनराशि पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया जाय कि मिट्टी भराई हेतु निर्माण स्थल से कितनी दूरी पर मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में स्थल विकास संबंधी जिन कार्यो की लागत डी0एस0आर0 पर प्रस्तावित की गयी हों उन कार्यो का जनपद के शिड्यूल आफ रेट्स पर विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(11) कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(13) परियोजना लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि, एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राडंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड एवं उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा 03 माह के अन्दर शासन के माध्यम से समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा माइलस्टोन्स निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित माइलस्टोन्स व तदनुसार कार्यो की प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्य को समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

(16) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.07.2014 में दिए गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(17) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

(18) योजना में अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी एजेन्सी अपने श्रोतो से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

http://sirsaindesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)

विशेष सचिव।

संख्याः 28/495/(1)/तीस-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वित्त नियन्त्रक कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(सन्त लाल)

अनु **सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in